राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एन.एच.एम. / NIPI / 2015 / 9536   भोपाल, दिनांक 24-8-15

प्रति,

1. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.)
   लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
4. समस्त, जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.)
   राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश

विषयः— समन्वित स्वास्थ्य गतिविधि, "नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI)/ साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरणकार्यक्रम (WIFS)" के प्रभावी कियान्वयन हेतु संयुक्त दिशा–निर्देश।

***

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव–परिपत्र क्रमांक 3 (2015–16)

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 (NFHS-3) के अनुसार लगभग 56 प्रतिशत किशोरी बालिकायें (15 से 19 वर्ष) 30 प्रतिशत किशोरवय बालक एनीमिया से ग्रसित हैं। शालेय विद्यार्थियों में आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया के कारण एकाग्रता, कार्यक्षमता, मानसिक क्षमता में कमी, शाला में उपस्थिति पर विपरीत प्रभाव, थकान आदि के लक्षण संभव है।

एत्एव एनीमिया की रोकथाम हेतु नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम (NIPI) / साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरणकार्यक्रम (WIFS) कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवायें तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन चक्र आधारित रणनीति अपनाते हुए 6 माह से 60 माह के बच्चों, 5 वर्ष से 10 वर्षीय बच्चों, 10 से 19 वर्षीय किशोरवय बालक एवं बालिकाओं, (WIFS कार्यक्रम), गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 20 से 45 वर्षीय प्रजननकालिक महिलाओं में आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण द्वारा एनिमीया (खून की कमी) के नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है।

NIPI/WIFS कार्यक्रम के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :—

- NIPI/WIFS कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राज्य शिक्षा केन्द्र तथा लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत पंजीबद्व समस्त शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक / मिडिल / हाई / हायर सेकेन्डरी शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 12 के 5 से 19 वर्षीय छात्र–छात्राओं को साप्ताहिक (प्रत्येक मंगलवार को) आई.एफ.ए. (आयरन फॉलिक एसिड) गोली का अनुपूरण किया जाना है।
- कक्षा 1 से 5वी. के समस्त छात्र–छात्राओं को आई.एफ.ए. की छोटी गुलाबी गोली सप्ताह में एक बार (प्रत्येक मंगलवार को) समस्त शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में खिलाई जाना होगी। **जिसकी एक गोली में 45 मि.ग्रा. एलिमेन्टल आयरन तथा 400 माइको ग्राम फोलिक एसिड की मात्रा होगी।**
- इसी प्रकार 10 से 19 वर्षीय अर्थात् कक्षा 6ठवीं से 12वीं के समस्त छात्र–छात्राओं को [redacted] आई.एफ.ए. नीली गोली सप्ताह में एक बार (प्रत्येक मंगलवार को) समस्त शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त मिडिल / हाई / हायर सेकेन्डरी शालाओं के माध्यम से खिलाया जाना है। **जिसकी एक गोली में 100 मि.ग्रा. एलिमेन्टल आयरन तथा 500 माइक्रो ग्रा. फोलिक एसिड की मात्रा निर्धारित है।**
- उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र–छात्राओं हेतु शालाऐं, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन एवं 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शालाऐं, लोक शिक्षण संचालनालय के अधीन संचालित हैं।
- आई.एफ.ए. गुलाबी / नीली गोली का सेवन सप्ताह में एक बार शिक्षक की निगरानी में कराया जाना होगा। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करे की गोली खाली पेट ना ली जाए।
- कृमि / पटार / पेट में कीडे का संक्रमण एनीमिया का एक प्रमुख कारण है, अतः वर्ष में एक बार नेशनल डिवार्मिंग डे के दौरान 5 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमिनाशन सुनिश्चित करने हेतु एल्बेण्डाजोल गोली का सेवन कराया जाए।

- पूर्व अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए आई.एफ.ए. वितरण तथा रिपोर्टिंग प्रणाली में संशोधन करते हुए शालाओं से रिर्पोट प्राप्त करने की जवाबदेही आशा कार्यकर्ता को दी गयी है। नवीन संशोधित रिर्पोटिंग प्रणाली निम्नानुसार है :–

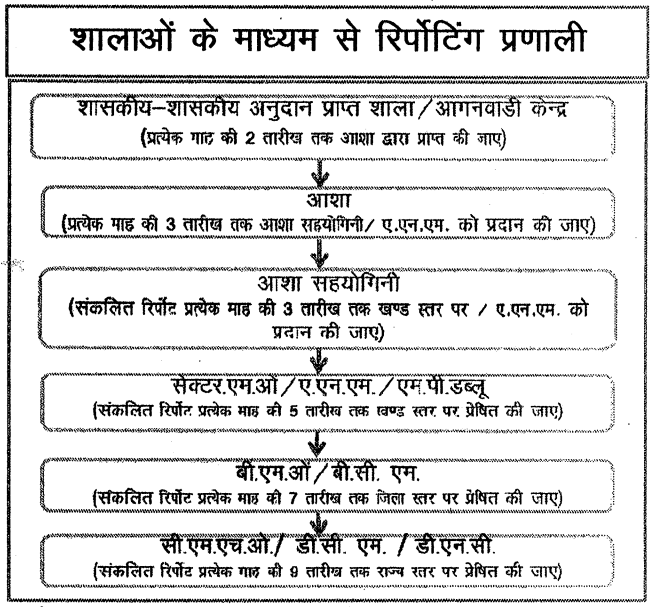

NIPI/WIFS कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग का दायित्व –

- स्वास्थ्य विभाग उपरोक्त NIPI/WIFS कार्यक्रम के संचालन हेतु नोडल विभाग है, अतैव समस्त हितग्राही समूहो के लिए आवश्यक आई.एफ.ए. (नीली एवं गुलाबी)/एल्बेण्डाजोल गोलियों का क्रय एवं निर्बाध उपलब्धता, अनुपूरण की निगरानी तथा समय–सीमा में शिक्षा विभाग के समन्वय से रिपोर्टिंग प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- NIPI कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन अनुपूरण के उपरांत किसी भी अप्रिय लक्षण के उपचार हेतु फर्स्ट एड किट में आवश्यक औषधियों का 1 किट जिसमें उल्टी, पेट दर्द, ओ.आर.एस. घोल के पैकेट, एन्टी एलर्जिक गोलियों के 5 पैकेट/10X10 Strip की व्यवस्था भी समस्त स्कूलों में सेक्टर मेडीकल अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
- NIPI कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल शिक्षकों को आई.एफ.ए. गोली के अनुपूरण, डोज, सावधानियॉ आदि के बारे में उन्मुख किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः नोडल शिक्षक (संस्था प्रधान के उन्मुखीकरण के पूर्व सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संबंधित बी.ई.ओ/बी.आर.सी. के साथ बैठक कर नोडल शिक्षकों के उन्मुखीकरण हेतु स्थल/समय निर्धारित किया जाए।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु बार्षिक कार्ययोजना 2015–16 में प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रति विकासखण्ड 3 एवं मिडिल/हाई/हायर सेकेन्डरी शालाओं के शिक्षको हेतु प्रति विकासखण्ड 2 बैच आयोजित किए जाने हेतु राशि स्वीकृती दी गयी है।
- जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर NIPI/WIFS एडवायजरी कमेटी का गठन किया जाकर प्रतिमाह कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यक्रम की समीक्षा समस्त स्टेकहोल्डर की उपस्थिति में की जाए। औषधियों की उपलब्धता एवं समय–सीमा में रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- रिर्पोटिंग प्रपत्र के रजिस्टर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शालाओं में उपलब्ध करायी जाएं।

शिक्षा विभाग का दायित्व –

- शिक्षा विभाग के अधीनस्थ डी.ई.ओ. एवं डी.पी.सी. का दायित्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनके अधीनस्थ शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध कराना होगा ताकि तदानुसार क्रय हेतु नियमानुसार आंकलन किया जा सके।
- जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अर्न्तविभागीय मासिक बैठकों में कार्यक्रम के संबंध में उन्मुखीकरण एवं समीक्षा की जाए।
- साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों को आई.एफ.ए. अनुपूरण एवं कृमिनाशन के बारे में उन्मुख कराया जाना होगा। उन्मुखीकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्मुखीकरण कार्यशाला में प्रदायित्व सत्रों के पॉवर प्वाइंट का प्रयोग किया जाये।
- स्कूलों में यद्वपि आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण हेतु Individual Compliance Cards स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराये गए हैं परन्तु **कार्य सुविधा की दृष्टि से उपस्थिति पंजी (Attendance Register) में ही मंगलवार को उपस्थित विद्यार्थियों को आई.एफ.ए. अनुपूरण के पश्चात् हरे स्केचपेन से गोला बनाकर चिन्हांकित किया जाए।**
- **यदि किसी कारणवश जैसे शासकीय अवकाश अथवा विद्यार्थी के अनुपस्थिति के कारण मंगलवार को आई. एफ.ए. का अनुपूरण नहीं किया जा सका हो तो आगामी दिवस (बुधवार को) पर आई.एफ.ए. अनुपूरण कर हरे स्केचपेन से चिन्हांकित किया जाए।**

- स्कूलों में आई.एफ.ए. की नीली/गुलाबी गोलियों एवं एल्बेण्डाजोल गोली के सुरक्षित रख–रखाब की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- **ग्रीष्म/शीत कालीन अवकाश के दौरान कक्षा 1 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को आई.एफ.ए. अनुपूरण सुनिश्चित किया जाए। पंजीकृत बालक बालिकाओं की संख्या एवं सप्ताह की गणना कर समस्त बच्चो को शिक्षको द्वारा आई.एफ.ए. दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।**
- शिक्षक गोली देने से पूर्व निम्न बातों को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अवश्य बताएं :–
    1. आई.एफ.ए. की गोली खाली पेट न खाएं।
    2. आई.एफ.ए. की गोली चबाकर न खाएं।
    3. पूरी आई.एफ.ए. की एक गोली पानी के साथ निगलकर खाएं।
    4. किसी भी प्रकार की बिमारी होने पर आई.एफ.ए. गोली का सेवन न करें।
    5. किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव होने पर नजदीकी स्वास्थ केन्द्र पर सम्पर्क करें।
    6. नेशनल डिवॉर्मिंग डे के अन्तर्गत एलबेन्डाजॉल की गोली चबाकर ही खाएं।
- शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठकों में नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम (NIPI) की भी मासिक समीक्षा की जाए एवं नोडल शिक्षक द्वारा समय–सीमा में रिपोर्ट आशा के माध्यम से विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

o/c दीप्ति गौड़ मुकर्जी	डी.डी. अग्रवाल	जे.एन.मालपानी	फैज़ अहमद किदवई
आयुक्त,	आयुक्त,	आयुक्त	मिशन संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.	लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.	अनुसूचित जनजाति विभाग,म.प्र.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.,म.प्र.

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम./NIPI/2015/9537 भोपाल, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
7. पोषण अधिकारी, यूनिसेफ भोपाल।
8. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।
10. समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
12. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
13. समस्त, जिला पोषण सलाहकार, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

o/c आयुक्त,	आयुक्त,	आयुक्त	मिशन संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.	लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.	अनुसूचित जनजाति विभाग,म.प्र.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.,म.प्र.